लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0

गौतम नगर, भोपाल–462 021
Gautam nagar, Bhopal-462 021
दूरभाष: 91–755–2583650, फैक्स: 0755–2583651 ई–मेल: dpi mp@sanchamet.in

क्रमांक–स्था–2/क्यु–/पे (–)/पैंशन/2011/. 1532 भोपाल दिनांक, 10-10-20

प्रति,

1. समस्त सयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

विषय: पे(–) पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की रिक्त पद वाली संस्थाओं में नियुक्ति करने विषयक।

....

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–1/59/2009/20–1, दिनांक 21.05.2010. के द्वारा आदेश में निहित शर्तो के अधीन रिक्त पद वाली संस्थाओं में सेवानिवृत्त शिक्षकों की पे(–) पेंशन के आधार पर नियमित पद पूर्ति होने तक शैक्षणिक सत्र के लिए नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिये गए है, किन्तु इस आदेश का विधिवत् क्रियान्वयन नही हो पा रहा है, और विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही आदेश की मंशा की पूर्ति भी नहीं हो रही है। इस आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में यह संज्ञान में लाया गया है कि, किस स्तर से नियुक्ति की जाये, एवं वेतन किस मद् से आहरित किया जाये, संबधी उल्लेख शासन आदेश में नही होने के कारण उसके कियावन्यन में कठिनाई हो रही है।

2. अतः शासन आदेश दिनांक 21 मई 2010. के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश में निहित शर्तो के सहपठित मार्गदर्शन स्वरूप निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है:–

2.1. पे(–) पेंशन के आधार पर नियुक्तियां संबंधित भरती पदोन्नति नियमों के अनुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से ही जारी की जायेगी। जिन पदों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला अथवा संभागीय स्तर के है उनके आदेश जिला अथवा संभागीय स्तर से ही जारी होंगे।

2.2. राज्य संवर्गीय पदों की नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव संचालनालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रस्ताव भेजते समय संबंधित सेवा निवृत्त लोक सेवक की सहमति सहित आवेदित पदों की उपलब्धता, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं स्पष्ट मत सहित प्रस्ताव भेजा जायेगा।

Badkul
C:\Documents and Settings\establishment2\Desktop\badkul\doc. painson.doc

2.3 ये नियुक्तियाँ केवल विद्यालयों में शिक्षकीय कार्य के लिए ही प्रस्तावित की जावेगी।

2.4 पे(–) पेंशन के आधार पर होने वाली इन नियुक्तियों के वेतन आहरण "योजना क्र.2669, .42–007 शीर्ष" के अन्तर्गत किया जायेगा क्योंकि आगामी पदपूर्ति भी इसी योजना अन्तर्गत संभव होगी।

2.5 जिला स्तर पर होने वाली नियुक्तियों एवं संचालनालय को प्रेषित प्रस्ताव की संस्थावार एंव जिलेवार जानकारी जिलें में संधारित की जायेगी एवं प्रतिमाह नियमित रूप से संचालनालय के वित्त एवं बजट कक्ष, संबंधित प्रशासनिक कक्ष के उपयोग/आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जायेगी।

2.6 उक्त के प्रकाश में शासन की मंशा के अनुक्रम में एवं शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से उक्त शासनादेश दिनांक 21.05.2010 का कियान्वयन सुनिश्चित करें।

सं/–

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण म0प्र0

पृ0 क्रमांक.स्था–2/क्यु–/पे(–)/पैंशन/2011/1533 भोपाल दिनांक, 10.1.2011

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक मान, मंत्री जी/ राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म0प्र0 भोपाल
3. समस्त कलेक्टर, म0प्र0।
4. संयुक्त संचालक(वित्त/बजट) स्थानीय।
5. संयुक्त संचालक, विद्या स्थानीय,
4. उप संचालक समन्वय, स्थापना–1 एवं सहायक संचालक स्थापना–3 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

लोक शिक्षण म0प्र0

कमांक स्था–2/02/एच/01/2011/. भोपाल, दिनांक

B.

establishment2\Desktop\badkul\doc. painson.doc